

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्थान वाद 45/2017 (2020/00408)

1. श्रीमति सूरज कंवर पत्नि स्व. मदनसिंह
 2. भैरुसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
 3. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह
 4. कजोड कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह
 5. चांद कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह
- समस्त जाति राजपूत निवासीगण धूमधरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादीगण

◆ बनाम ◆

1. देवी सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी धूमधरी तहसील केकड़ी जिल्ला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राज.

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

--: निर्णय :-

दिनांक 13.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया, कि ग्राम धूमधरी की जमावन्दी स. 2069-72 के खाता स. 653-611 में खसरा नम्बर 640 रकबा 0.66 है. किस्म जाव, 687 रकबा 0.16 है. किस्म जाव 3, 688 रकबा 0.24 है. किस्म चाही 1, 689 रकबा 0.26 है. किस्म जाव 3, 690 रकबा 0.15 है. किस्म जाव 3, 695 रकबा 0.18 है. किस्म जाव 3, 696 रकबा 2.82 है. किस्म जाव 3, 699 रकबा 0.60 है. किस्म जाव 3 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 5.07 है. भूमि जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सहखातेदारी दर्ज होती चली आ रही है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.05.2018 व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.12.2021 को प्रसारित की गई तथा तहसीलदार केकड़ी को मोका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया तहसीलदार केकड़ी द्वारा दिनांक 09.12.2021 को बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-



क्रमांक	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1.	श्रीमति सूरज कंवर पत्नि मदन सिंह, भैरु सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह, कजोड कंवर, चांद कंवर पिता मदन सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहित एसबीआई शाखा केकड़ी सूरज कंवर व भैरु सिंह का हिस्सा	696/1	0.44
		696/3	0.75
		699	0.60
		689	0.26
		687/1	0.08
		640/1	0.33
	कुल कित्ता 6	कुल रकबा 2.46 है.	
2.	देवी सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहित बीओबी शाखा केकड़ी	696/2	1.63
		695	0.18
		687/2	0.08
		688	0.24
		640/2	0.33
	कुल कित्ता 5	कुल रकबा 2.46 है.	
3.	सामलाती	690	0.15

वादीगण के हिस्से में आने वाले रकबे को तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में लाल रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी स. 1 के हिस्से को नीले रंग से दर्शित किया गया है। सम्मिलित रहने वाला क्षेत्र बिना रंग के है।

उपस्थित पक्षकारान को तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है।




उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकार किया जाकर ग्राम धून्धरी की जमाबन्दी संवत् 2069-72 के खाता स. 653-611 किता 8 रकबा 5.07 है. का बंटवारा तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्रमांक	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1.	श्रीमति सूरज कंवर पति मदन सिंह, भैरु सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह, कजोड कंवर, चांद कंवर पिता मदन सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहित एसबीआई शाखा केकड़ी सूरज कंवर व भैरु सिंह का हिस्सा	696 / 1	0.44
		696 / 3	0.75
		699	0.60
		689	0.26
		687 / 1	0.08
		640 / 1	0.33
2.	देवी सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार राहित बीओबी शाखा केकड़ी	कुल किता 6	कुल रकबा 2.46 है.
		696 / 2	1.63
		695	0.18
		687 / 2	0.08
		688	0.24
3.	सामलाती	कुल किता 5	कुल रकबा 2.46 है.
		690	0.15

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खाते व लगान कायमी करे एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करें। इस आशय का अंतिम डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा फरिक्ते अपना-अपना वहन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला-अधिकारी
केकड़ी (अनुमोदित)
 केकड़ी,